# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 18/2014/दावा

1. महावीर प्रसाद
2. प्रहलाद सहाय } पुत्रगण स्व. बोदूराम
3. सुशीला
4. सुरज्ञान } पुत्रियां स्व. बोदूराम
5. मूलीदेवी पत्नि स्व. बोदूराम

समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–वादीगण

**बनाम**

1. नेमीचंद पुत्र भगवानसहाय
2. बक्सीराम पुत्र कजोड़मल
3. नोपाराम पुत्र रामेश्वर
4. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. बोदूराम जाति मीणा निवासी बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
5. उपपंजीयक अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर।
6. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

--प्रतिवादीगण

## दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरूस्ती

## आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

**उपस्थिति**

1. श्री योगेश कुमार शर्मा वकील वादीगण की ओर सें।
2. प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की ओर सें वकील श्री मूलचंद धायल।

**निर्णय**

दिंनाक :– 09.07.2019

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

1. प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की ओर सें आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि वाद मुख्य रूप सें खसरा नम्बर 1611/1, 1611/2 के संबंध में पेश किया है जिसमें खसरा नम्बर 1611/1 रकबा 0.09 हैक्टेयर की खातेदारी स्वामित्व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 क है जिसकी किस्त गैर मुमकिन आबादी है तथा आबादी के ही काम में ली जा रही है इसलिए खसरा नम्बर के खातेदारान के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय हाजा में चलने योग्य नही है क्योंकि– 1. खसरा नम्बर 1611/1 रकबा 0.09 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज है अतः इसके संबंध में स्थायी निषेघाज्ञा का वाद सुनने का क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को न होकर माननीय सिविल न्यायालय को है इसलिए प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है। 2. प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के भूमि खसरा नम्बर 1610/2 के खातेदार द्वारा सीमा विवाद करने पर प्रार्थीगण ने एक दावा बाबत पत्थरगढी का न्यायालय हाजा में पेश किया गया जिसका विधिवत सुनवाई कर दिनांक 08.01.2014 को निस्तारण हो चुका है। नक्शा भी खसरा नम्बर 1611/1 रकबा 0.09 हैक्टर के अनुसार सही बना हुआ है तथा पत्थरगढी आदेश भी खसरा नम्बर 1611/1 रकबा 0.09 हैक्टर में ही है इसलिए अधिक भूमि पर कब्जा होन व पत्थरगढी होना संभव नहीं है। अतः वाद कपोल कल्पित तथ्यों के आधार पर पेश होने के कारण खारिज होने योग्य है।

2. वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता विरोध प्रकट करते हुये अपने जवाब में अंकित किया कि खसरा नम्बर 1611/1 रकबा .0900 हैक्टर आबादी भूमि होना स्वीकार है एवं आबादी भूमि के मामले में श्रवणाधिकार दीवानी न्यायालय को है लेकिन प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि खसरा नम्बर 1611/2 रकबा 0.0200 हैक्टर के बाबत प्रस्तुत किया है जिसका श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को है। खसरा नम्बर 1611/1 व 1610/2 के मध्य सीमा विवाद निर्णय वादी की जानकारी में नहीं होना बताया तथा कथन किया कि वादी ने मात्र भूमि खसरा नम्बर 1611/2 रकबा 0.02 हैक्अर पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप सें कब्जा करने पर बेदखली व नक्शा ट्रेस दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है अतः आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

3. बहस बकुलाय फरीकेन सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं वादपत्र तथा उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। क्योंकि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 7 नियम 11 सीपीसी निम्न आधारों पर है–

(क). जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख). जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ़

जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय सें नियम किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग). जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ). **जहां वादपत्र में के कथन सें यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।**

4. वादपत्र के अनुसार **"ग्राम बाय पटवार हल्का बाय गिरदावर हल्का खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1611/1 रकबा 0.09 हैक्टर व खसरा नम्बर 1611/2 रकबा 0.02 हैक्टर अवस्थित है जिसके वादीगण अपने हिस्से के एकमात्र खातेदार काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि का पुराना खसरा नम्बर 1611 रकबा 0.12 हैक्टर है।"** राजस्व अभिलेखों के अवलोकन सें स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1611/1 रकबा 0.09 है0 गैर मुमकिन आबादी भूमि है जिसका श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय का है तथा पत्थरगढी के आदेश भी हो चुके है अतः अधिक भूमि पर कब्जा होना व पत्थरगढी होना संभव नहीं है जिससें स्पष्ट होता है कि वादपत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है तथा वादपत्र की मद सं0 1 में किये गये विवादित भूमियों के विवरण उल्लेख में आबादी भूमि का उल्लेख नहीं किया गया है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 1611/1 रकबा 0.09 हैक्टेयर की किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। जिससें स्पष्ट है कि वादपत्र प्रस्तुत करते समय वास्तविक तथ्यों को पेश नहीं किया गया है। उक्त वर्णित विवेचन सें स्पष्ट है कि वादीगण का वाद विधिविरूद्ध होने के कारण खारिज होने योग्य है।

अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये वादी का वाद इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर सें कम व दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी,दातारामगढ

# डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
( Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

महावीर प्रसाद बनाम नेमीचंद आदि

**दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरूस्ती**

मुकदमा नं0 18 / दावा सन् 2014 निर्णय दिनांक. 09.07.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार** आर.ए.एस बहाजरी **श्री योगेश कुमार शर्मा** मिनजानिब मुददई व **श्री मूलचंद धायल** मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि प्रकरण में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का मूलवाद खारिज किया जाता है।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है

बीज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.07.2019 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा

| मुददई | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा ..... | 6 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 1 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 1 | 00 | स्टाम्प अर्जी .... | | |
| स्टाम्प वजह सबूत ..... | — | — | मेहनताना वकील पर ... | | |
| मेहनताना वकील ..... | — | — | खर्चा गवाहान ..... | | |
| खर्चा गवाहान ..... | — | — | फीस कमिश्नर .... | | |
| फीस कमिश्नर ..... | — | — | बाबत इजराय हुक्मनामा ..... | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा .... | — | — | मुतफर्रिक ..... | 0 | 00 |
| मुतफर्रिक ..... | 8 | 00 | | 0 | 00 |
| मीजान | 15 | 00 | मीजान | 1 | 00 |

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी,दातारामगढ